भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT.OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

सं.- HCLI SCY/*SE/ 2022* 18.05.2022

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
कॉरपोरेट सेवा विभाग,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभ्वाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

उपाध्यक्ष,
लिस्टिंग विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक -जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई - 400 051
NSE Symbol: HINDCOPPER

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 24A के अनुसरण में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सचिवीय अनुपालनात्मक रिपोर्ट, जिसे M/s N K & एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने जारी किया है, सूचना और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

धन्यवाद ।

भवदीय,

ह0/-

(सी.एस.सिंघी)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

CS **N. K & Associates**
Company Secretaries

159, Rabindra Sarni, 9th Floor
Kolkata – 700 007
Phone : +91- 33-4601-3950
E-mail : kothari.navin@yahoo.com

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की

सचिवीय अनुपालनात्मक रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम-2015 के विनियमन 24A के अनुसरण में)

मैं, नवीन कोठारी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, M/s N K & एसोसिएट्स का प्रोपराइटर ने निम्नलिखित की जांच की:

(क) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ("सूचीबद्ध इकाई") द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तथा स्पष्टीकरण,

(ख) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को किए गए फाइलिंग/प्रस्तुत,

(ग) सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट,

(घ) 31 मार्च 2023 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अन्य दस्तावेज/ फाइलिंग(गों), जो प्रासंगिक हो सकता है, जिसपर इसे प्रमाणीकरण बनाने के लिए भरोसा किया गया है:

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और विनियम, परिपत्र, इसके अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देश; तथा

(बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("SCRA"), इसके अंतर्गत बनाये गये नियम और इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधान और परिपत्र / दिशानिर्देश इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं, की जांच की गई है, इसमें शामिल हैं:-

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 यथासंशोधित;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) विनियम, 2018;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओभर) विनियम, 2011(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वीट इक्विटी) विनियम, 2021; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर ट्रांसफर एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं पार्टिसिपेंट) विनियम, 2018;
और इसके अंतर्गत जारी परिपत्र/दिशानिर्देश
हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई की अनुपालन स्थिति निम्नवत है:

क्रम सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हॉ/नहीं/लागू नहीं)	PCS की राय/ टिप्पणी
1	सचिवीय मानक: ICSI द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों अर्थात् CSAS-I से CSAS-3 के अनुसार सूचीबद्ध इकाई का अनुपालन है।	हॉ	कोई नहीं
2	**नीतियों का ग्रहण एवं समय पर अद्यतन** • सेबी के तहत सभी लागू नीतियां सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से नियमों को अपनाया जाता है • सभी नीतियां सेबी के विनियम अनुरूप हैं एवं समीक्षा की गई है और सेबी द्वारा जारी विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देश के अनुसार अद्यतन किया गया है।	हॉ हॉ	कोई नहीं
3	**वेबसाइट का रखरखाव और प्रकटीकरण:** • सूचीबद्ध इकाई कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रख रही है • वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन के तहत समय पर दस्तावेजों का प्रसार/जानकारी • नियमन 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट में दिये गये वेब.लिंक सटीक और विशिष्ट हैं जो पुनः वेबसाइट का प्रासंगिक दस्तावेज़/ अनुभाग निर्देशित करता है	हॉ हॉ हॉ	कोई नहीं
4	**निदेशक की अयोग्यता:** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है	हॉ	कोई नहीं
5	**सूचीबद्ध संस्थाओं की अनुषंगी कंपनियों से संबंधित निम्नांकित विवरण की जांच की गई:** (ए) भौतिक अनुषंगी कंपनियों की पहचान (बी) भौतिक के साथ-साथ अन्य अनुषंगी कंपनियां प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकताएं	लागू नहीं हॉ	कंपनी का कोई भौतिक अनुषंगी कंपनी नहीं है।
6	**दस्तावेज का संरक्षण:** सूचीबद्ध इकाई सेबी विनियमों के तहत निर्धारित रिकॉर्ड को संरक्षित और बनाए रख रही है और SEBI LODR विनियम, 2015 के तहत निर्धारित दस्तावेज के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार रिकॉर्ड का निपटान करती है।	हॉ	कोई नहीं

7	**निष्पादन मूल्यांकन:** सूचीबद्ध इकाई ने सेबी विनियमों में निर्धारित के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का निष्पादन मूल्यांकन किया है।	हॉ	एच.सी.एल. सरकारी कंपनी होने के नाते इसके निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
8	**संबंधित पाटी लेनदेन** ए) सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है बी) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई इस बात की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी कि क्या लेन-देन बाद में लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/पुष्टि/ अस्वीकार किए गए थे।	हॉ लागू नहीं	चूंकि, सभी संबंधित पार्टी लेनदेन ऑडिट समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दर्ज किए गए थे बिंदु (बी) लागू नहीं है।
9	**घटना अथवा सूचना का प्रकटीकरण** सूचीबद्ध इकाई ने सेबी LODR विनियम, 2015 की अनुसूची-III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं।	हॉ	कोई नहीं
10	**आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध** सूचीबद्ध इकाई ने सेबी (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के विनियम 3(5) एवं 3(6) का अनुपालन किया है।	हॉ	कोई नहीं
11	**SEBI अथवा स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो** सेबी विनियमों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों / दिशानिर्देशों के तहत सूचीबद्ध इकाई / उसके प्रमोटरों / निदेशकों / अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ या तो सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत सहित) कोई कार्रवाई नहीं की गई।	नहीं	स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद के कारण 3 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड की संरचना से संबंधित सेबी LODR विनियम 2015 के विनियम 17 के अनुपालन न करने के लिए 4,24,800/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
12	**अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो:** सभी सेबी विनियम/परिपत्र/मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया। .	हॉ	कोई नहीं

(a) सूचीबद्ध इकाई ने उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों, नीचे निर्दिष्ट मामले को छोड़कर, का अनुपालन किया है : -

क्रम सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विनियम/ परिपत्रों/दिशा निर्देशों विशिष्ट क्लाउज सहित)	विनियम/ परिपत्र सं.	विपथन	के द्वारा की गई कार्रवाई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणी	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सलाह/स्पष्टीकरण/कारण बताओ नोटिस/चेतावनी आदि					
1	बोर्ड की संरचना	सेबी LODR विनियम 2015 के विनियम 17(1) (b)	यदि पंजीकृत संस्था में नियमित गैर-कार्यकारी चेयरपर्सन नहीं है तो कम-से-कम निदेशक मंडल का आधा स्वतंत्र निदेशक होगा। बोर्ड में न्यूनतम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	BSE एवं NSE	जुर्माना लगाना	बोर्ड में न्यूनतम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालाँकि, 22.07.2022 से 31.03.2023 तक केवल 3 स्वतंत्र निदेशक थे	रु. 4,24,800	बोर्ड के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 के 22.7. 2022 की अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यक 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं थे	एचसीएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते और इसके एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के संदर्भ में, इसके बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति खान मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति	कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार इसके अंतर्नियमावली के

			हालाँकि 22.07.2022 से 31.03.2023 तक केवल 3 स्वतंत्र निदेशक थे						प्रक्रिया में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने खान मंत्रालय, भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों के 3 रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है और मामला सरकार के विचाराधीन है।	अनुसार की जाती है।

(b) सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है:

क्रम सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विनियम/ परिपत्रों/दिशा निर्देशों विशिष्ट क्लाउज सहित)	विनियम/ परिपत्र सं.	विपथन	के द्वारा की गई कार्रवाई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	दंड राशि	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणी	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सलाह/स्पष्टीकरण/कारण बताओ नोटिस/चेतावनी आदि					
1	निदेशक	सेबी	1000	BSE	BSE	वित्तीय	नोट-1 का	हिंदुस्तान	स्वतंत्र	एचसीए

	मंडल की संरचना	LODR विनियम 2015 के विनियम 17(1) (a)	सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। वित्त वर्ष बीएसई 2021-22 के दौरान 21.3.2022 तक कंपनी में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी।	एवं NSE	एवं NSE ने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड (डें) लगाई ।	वर्ष 2021-22 के दौरान 21-03-2022 तक कंपनी में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी।	संदर्भ लें।	कॉपर लिमिटेड खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति स्वयं मंत्रालय द्वारा किया जाता है और नियुक्ति प्रक्रिया में न तो बोर्ड और न ही कंपनी की कोई भूमिका होती है। बोर्ड में वर्ष के दौरान 21-3-2022 तक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी।	महिला निदेशक के रिक्त पद श्रीमती हेमलता वर्मा के 22-3-2022 के प्रभाव से स्वतंत्र महिला निदेशक के रुप में नियुक्त कर भरा गया।	ल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते और इसकी अंतर्नियमावली के संदर्भ में, इसके बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा जारी आदेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।
2	निदेशक मंडल की संरचना	सेबी LODR विनियम 2015 के	यदि सूचीबद्ध संस्था में नियमित	BSE एवं NSE	BSE एवं NSE ने उपर्युक्त	कंपनी में न्यूनतम वांछित 50%	नोट-1 का संदर्भ लें।	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खान	स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद श्री अन्नादेवरा	एचसीएल, एक सरकारी कंपनी

		विनियम 17(1) (b)	गैर-कार्यकारी चेयरपर्सन नहीं है तो कम-से-कम निदेशक मंडल का आधा स्वतंत्र निदेशक होगा।		प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड (डें) लगाई ।	स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।		मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति स्वयं मंत्रालय द्वारा किया जाता है और नियुक्ति प्रक्रिया में न तो बोर्ड और न ही कंपनी की कोई भूमिका होती है। बोर्ड में वि.व.-2021-22 में 17-7-2021 से 2-11-2021 तक न्यूनतम वांछित 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	गुरुंधा कृष्ण प्रसाद और श्री अविनाश जनार्दन भिडे के 3-11-2021 के प्रभाव से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति द्वारा भरे गये और स्वतंत्र महिला निदेशक के श्रीमती हेमलता वर्मा के 22-3-2022 के प्रभाव से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त कर भरा गया।	होने के नाते और इसकी अंतर्नियमावली के संदर्भ में, इसके बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा जारी आदेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।
3	पूर्व सूचना	सेबी LODR विनियम	सूचीबद्ध इकाई को वितीय	BSE एवं NSE	BSE एवं NSE ने	31 दिसंबर 2021 को	रु. 11,800	कंपनी ने 31 दिसंबर 2021 को	एचसीएल समय पर एक्सचेंजों के	

		2015 का विनियम 29(2)	परिणाम पर चर्चा के संबंध में कम से कम पांच दिन पहले निदेशक मंडल की बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना देनी होगी।		सेबी LODR विनियम 2015 के विनियम 29(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड (डें) लगाई ।	समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों पर चर्चा के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने में विलंब हुआ।		समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की चर्चा से संबंधित 12.02.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना देने में 3 दिन की देरी की थी।	साथ कॉर्पोरेट कार्रवाई/रिपोर्ट दाखिल कर रही है, पूर्व सूचना देने में यह अनजाने में देरी संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी और यह एक मामला है। यह सुनिश्चित करनेके लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है कि उसे दोहराया न जाए।	

टिप्पणी 1: BSE और NSE ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों का पालन न करने के लिए कंपनी पर रु.21,53,500/- प्रत्येक का समेकित जुर्माना लगाया है।

कृते : एन. के. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/-
नवीन कोठारी
प्रोपराइटर
FCS No. 5935 CP No.3725
Peer Review No.: 1384/2021
UDIN : F005935E000306147

स्थान : कोलकाता
दिनांक 15-05-2023